बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०स०–स्था०1/आ०2–21/2017 308 पटना, दिनाकः 13.09.18

कार्यालय आदेश

श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रोसडा, समस्तीपुर संप्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध निदेशक, नगर पालिका प्रशासन–सह–अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5033, दिनांक–31.07 2017 द्वारा इनके विरूद्ध समर्पित आरोप पत्र एवं अनुसंशा के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–323 सहपठित ज्ञापाक–2042, दिनांक–15.09.2017 द्वारा श्री सजय कुमार को बिहार सरकारी सवेक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1) (क) के तहत निलंबित किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०–385 सहपठित ज्ञापांक–2615 दिनांक– 27.11.2017 द्वारा श्री सजय कुमार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), समस्तीपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), समस्तीपुर के पत्रांक–02/वि०जॉ० दिनांक–16.02.2018 द्वारा श्री संजय कुमार के विरूद्ध सचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने आरोपी पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा समर्पित ब्यान एवं साक्ष्य के आवलोकनोपारन्त निष्कर्ष दिया है कि

(i) आरोपी पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र के साथ सलग्न साक्ष्यों का खंडन नहीं किया गया है, बल्कि इसको उन्होंने सही तथा उनके हस्ताक्षर से निर्गत बताया है। उन्होंने बताया कि प्रश्नगत चारों योजनाओं में उपलब्धि शून्य ही था। इसका मुख्य कारण उन्होंने स्टाफ की कमी एवं बोर्ड के निर्णयों को बताया है।

आरोपी पदाधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा दिये गये लिखित/मौखिक ब्यानों से यह स्पष्ट होता है कि आरोप संख्या–01 में उल्लेखित योजनाओं की उपलब्धि प्रतिवेदन समर्पित करने की तिथियों (01.04.2017 से 30.06.2017) को शून्य थी। उनके द्वारा प्रभार त्याग करने की तिथि–07.10.2017 (जैसा उनके द्वारा बताया गया) तक भी उपलब्धि इन योजनाओं मे शून्य ही रही।

अतः आरोप संख्या 01 प्रमाणित होता है।

(ii) आरोपी पदाधिकारी श्री संजय कुमार तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रोसडा (संप्रति निलंबित) ने बताया है कि विभागीय पत्रांक–1481, दिनांक–23.06.2017 (स्पष्टीकरण पूछे जाने से संबंधित पत्र) उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। अपने कथन के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जानकारी होने पर बिलंब से उन्होंने स्पष्टीकरण का जबाब दिया है, जिसे निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) बिहार, पटना द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर ने विभागीय पत्रांक–1481, दिनांक–23.05.2017 को श्री सजय कुमार, आरोपी पदाधिकारी को प्राप्त होने के संबध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है।

अतः आरोप संख्या–02 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

3 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 मे किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री सजय कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री संजय कुमार ने यह उल्लेख किया है कि :–

(2)

(i) पत्रों के द्वारा तथा व्यक्तिगत भेंटकर विभागीय वरीय पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को अवगत कराया था कि कार्यालय में एक भी तृतीय श्रेणी का कर्मी नहीं होने के कारण कार्यवाधित हो गया है।

(ii) तकनीकी कार्यो में शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही के विषय में कनीय अभियन्ता,डूडा के विरूद्ध विभाग को सूचित करने के बावजूद उस पर आरोप गठित नहीं कर उन पर ही आरोप गठित कर दिया गया।

इस प्रकार उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण मे दिया था, जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

4. इनके अभ्यावेदन से स्पष्ट होता है कि सभी नगर निकायों में संचालित योजनाओं में सबसे खराब प्रदर्शन नगर पंचायत, रोसडा द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नगर पंचायत रोसडा का विभागीय कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ तथा इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित नहीं किया गया जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एव मनमानी तथा विभागीय आदेश की अवहेलना को दर्शाता है। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

5. संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजय कुमार पर प्रमाणित आरोप के लिए संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रोसडा समस्तीपुर, सम्प्रति निलंबित कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत नियम – 14 के प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है तथा उन्हें आदेश निर्गत की तिथि से निलबन से मुक्त किया जाता है।

निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से नियमानुसार निर्णय संसूचित किया जायेगा।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–21/2017 1868 पटना, दिनांक : 13.05.18

प्रतिलिपि :–

सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–सह–अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक –5033 दिनांक–31.07.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री संजय कुमार, निलंबित कनीय साख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 13/5

03090 स्था०1 (25 अप्रैल 2018) संजय कुमार